



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in, ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक : 8339

दिनांक : 20/3/17

कार्यालय आदेश


महा रजिस्ट्रार महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1/12/2014-वीएस(सीआरएस) दिनांक 31.07.2015 के अनुसार इस विश्वविद्यालय तथा इसके अधिकार क्षेत्र में अवस्थित समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों/स्टाफ/संस्था से संबंधित सभी कार्यों में जहां आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो महा रजिस्ट्रार महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- महा रजिस्ट्रार महोदय, गृह मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र

क्रमांक : 8339

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कुलपति सचिवालय, कार्यालय हाजा।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय, कार्यालय हाजा।
3. प्राचार्य, समस्त राजकीय तथा निजी महाविद्यालय, सीकर।
4. प्राचार्य, समस्त राजकीय तथा निजी महाविद्यालय, झुन्झुनू।
5. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव

दिनांक : 20/3/17


कुलसचिव



भारत सरकार/Government of India
 गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
 OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
 2/A, Man Singh Road New Delhi - 110011

सं. 1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)

दिनांक: 31 जुलाई, 2015

परिपत्र

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत किया जाता है । यह कार्यालय राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, के कार्यालयों के समन्वय और एकीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण है । वर्ष 2020 तक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सर्वव्यापी बनाने के लिए भारत ने अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा की है । उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यालय ने अनेक पहल की हैं ।

2. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के संबंध में लगभग 16 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो रहा है । आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाणपत्र होता है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा, 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं । ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में निष्कर्षी (अंतिम) साक्ष्य होती हैं । इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु संबंधी उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये उस प्रविष्टि से संबंधित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र विधिक दस्तावेज होता है ।

3. यह कार्यालय अपेक्षा करता है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी । इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्वतः ही संपूर्ण पंजीकरण की ओर बढ़ेगा ।

4. इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली निम्न सरकारी लाभकारी सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ने के लिए निदेश दिए जाएं:

- मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),
- टीकाकरण कार्डों में जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं, को दर्शाने वाले कॉलम को शामिल करना,
- स्कूल में प्रवेश,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना,
- सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रविष्टि और सेवा पुस्तिका का रखरखाव,
- मतदाता सूची/रोजगार कार्यालय में नाम शामिल करना,
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना,
- आधार/एनपीआर पंजीकरण,
- विवाह और तलाक/संबंध विच्छेद पंजीकरण,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना,
- उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटान के संबंध में,
- बीमा दावों के निपटान के संबंध में,
- पारिवारिक पेंशन के निपटान के संबंध में,

5. आपसे अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/स्कीमों के संबंध में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास प्रारम्भ करें। इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को भी दी जाए।

६०

(च.चन्द्रमौलि)

अपर सचिव तथा

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

सेवा में,

1. विदेश मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के सचिव।
2. सभी मुख्य/उप मुख्य/अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु।
3. सभी जीवन बीमा कंपनियों के प्रमुख (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों)।
4. सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी।
5. सभी राज्य परिवहन प्राधिकरण।
6. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट।

अग्नेषित/आजा से



(अ.के. गौतम)

उप महारजिस्ट्रार